

ग्लोबई नेटवर्क

[स्रोत: TH](#)

हाल ही में भारत को भ्रष्टाचार वरिधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परचालन नेटवर्क (ग्लोबई नेटवर्क) की 15 सदस्यीय संचालन समिति हेतु चुना गया।

ग्लोबई के बारे में:

- ग्लोबई नेटवर्क [G-20](#) की पहल है जिसे वर्ष 2020 से भारत द्वारा समर्थित किया जा रहा है।
 - इसकी स्थापना वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ [संयुक्त राष्ट्र महासभा](#) के विशेष सम्मलेन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई थी।
- इसका संचालन इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसे [ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय \(UNODC\)](#) द्वारा समर्थन प्राप्त है।
 - वर्तमान में इसमें 121 सदस्य देश और 219 प्राधिकरण शामिल हैं।
 - इसकी पहलों के प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन हेतु इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य शामिल हैं।
 - यह सीमा पार वित्तीय अपराधों को रोकने के क्रम में खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इस संदर्भ में भारत में गृह मंत्रालय (MHA) केंद्रीय प्राधिकरण है जिसमें [केंद्रीय अनुवेषण ब्यूरो \(CBI\)](#) और [प्रवर्तन नदिशालय \(ED\)](#) सदस्य प्राधिकरण हैं।

भ्रष्टाचार के वरिद्ध अन्य प्रयास:

- वैश्विक:
 - [भ्रष्टाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(UNCAC\)](#)
 - [ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक \(CPI\)](#)
 - [G-20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह](#)
- राष्ट्रीय:
 - [लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013](#)

अधिक पढ़ें: [भ्रष्टाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(UNCAC\)](#)